



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27092024-257555
CG-DL-E-27092024-257555

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3895]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 27, 2024/आश्विन 5, 1946

No. 3895]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 27, 2024/ASVINA 5, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2024

सं. 17/2024-केंद्रीय कर

का.आ. 4253(अ).—केंद्रीय सरकार, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2024 (2024 का 15) की धारा 1 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए .—

- (क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को ऐसी तारीख के रूप में जिसको उक्त अधिनियम की धारा 118, धारा 142, धारा 148 और धारा 150 प्रवृत्त होगी, नियत करती है; और
- (ख) 1 नवंबर, 2024, को ऐसी तारीख के रूप में जिसको उक्त अधिनियम की धारा 114 से धारा 117, धारा 119 से धारा 141, धारा 143 से धारा 147, धारा 149 और धारा 151 से धारा 157 प्रवृत्त होगी, नियत करती है।

[फा. सं. सीबीआईसी-20006/20/2023-जीएसटी]

रौशन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th September, 2024

No. 17/2024—Central Tax

S.O. 4253(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 1 of the Finance (No. 2) Act, 2024 (15 of 2024), the Central Government hereby appoints. —

- (a) the date of publication of this notification in the Official Gazette, as the date on which the provisions of sections 118, 142, 148 and 150 of the said Act shall come into force; and
- (b) the 1st day of November, 2024, as the date on which the provisions of sections 114 to 117, 119 to 141, 143 to 147, 149 and 151 to 157 of the said Act shall come into force.

[F. No. CBIC-20006/20/2023-GST]

RAUSHAN KUMAR, Under Secy.